264

संख्या– 410 /XXVIII–4–2013–30/2013.

प्रेषक,

अतर सिंह
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 22 मार्च, 2013

विषय– सीतापुर नेत्र चिकित्सालय द्वारा उत्तराखण्ड में संचालित नेत्र चिकित्सा केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6प/नियो0/65/2012/ 5391 दिनांक 19.03.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान संख्या–12 योजनान्तर्गत राज्य में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट द्वारा संचालित चिकित्सालय केन्द्रों द्वारा धनराशि ₹20.00 लाख (₹ बीस लाख मात्र) के आर्वतक अनुदान अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1, अधिनियम 16A में उल्लिखित अनुदान संग्रह/नियम शर्तों के अतिरिक्त की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल आहरित कर संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। संस्था द्वारा धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस हेतु स्वीकृति की जा रही है।
2. व्यय करते समय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों तथा बजट मैनुअल के नियमों का पालन सुनिशिचित किया जायेगा।
3. संस्था को निर्गत होने वाले अनुदान के सापेक्ष की जा रही गतिविधियों को सुचारू रूप से सम्पादित किये जाने हेतु नियमानुसार अनुबन्ध विभाग एवं संस्था के मध्य ₹ 100 के नॉन–जुडिशियल स्टम्प पेपर पर हस्ताक्षर किया जाये।
4. जनपद चम्पावत, बागेश्वर तथा रूद्रप्रयाग में सरकारी चिकित्सालयों एवं एन0जी0ओ0 सेक्टर में कुशल नेत्र शल्यकों के अभाव के कारण पर्याप्त संख्या में Opthalmic Surgeon नहीं है। इस परिस्थिति के अन्तर्गत उक्त जनपदों के एन0जी0ओ0 को नेत्र शल्यकिया से सम्बन्धित आवंटित कुल लक्ष्यों का 50% कार्य सीतापुर नेत्र चिकित्सालय द्वारा किया जाय।
5. संस्था द्वारा प्रत्येक माह किये जाने वाले ऑपरेशन की सूचना एम0पी0आर0 के रूप में राज्य कार्यकम अधिकारी (नेत्रोपचार) को प्रेषित की जायेगी तथा शिविरों की सूचना/तिथि की जानकारी भी संस्था एवं उक्त अधिकारी को प्रेषित करेगी।
6. आर्वतक अनुदान के सापेक्ष संस्था द्वारा किन–किन मदों में धनराशि पर व्यय किया गया है, इसका विवरण भी संस्था विभाग को उपलब्ध करायेगी तथा उत्तराखण्ड के कितने मरीजों को संस्था की सेवाओं का लाभ मिला है, यह सूचना भी संस्था विभाग को प्रस्तुत करेगी।
7. संस्था विगत 3 वर्षों में उसके द्वारा उत्तराखण्ड यूनिटों के माध्यम से किये गये कार्यों को वित्तीय एवं भौतिक विवरण नेत्रोपचार अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को

8. संस्था को नेत्र चिकित्सालय/शल्यकिया से सम्बन्धित शिविरों तथा अंतः रोगी/मरीजों की संख्या का भौतिक सत्यापन समय–समय पर सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जाना आवश्यक होगा।
9. संस्था द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन आख्या आगामी ट्रस्ट की बैठक में एवं महानिदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2013 तक कर लिया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं मदवार व्यय विवरण यथा समय शासन को उपलब्ध करानासुनिश्चित किया जायेगा।
11. इस सम्बन्ध में स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने के सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–2343/XXVIII–5–2010–230/2009, दिनांक 23.12.2010 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय।
12. यदि स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक में रखी जायेगी तो समय–समय पर उस पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित करके उसकी सूचना शासन को भी दी जायेगी।

उक्त व्यय आय–व्ययक 2012–13 के अनुदान संख्या–12 लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनागत, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, 800–अन्य व्यय, 07–स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–00–आयोजनागत के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–290(P)/XXVII(3)/2012–13 दिनांक 21 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव ।

संख्या– 400 (1)/XXVIII–4–2013–30/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल,चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड, देहरादून उत्तराखण्ड ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3 एंव 1/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र पंयाल)
अनु सचिव ।